राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान

2008–09

–: विषय :–

“जलवायु परिवर्तन”

कार्यशाला संसाधन सामग्री

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ।।

–: आयोजक :–
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल

–: प्रायोजक :–
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान
2008–09

भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जन साधारण में पर्यावरणीय जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1986 से राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। प्रत्येक वर्ष पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित किसी एक विषय का चयन कर इस अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। देश और विश्व के सामने मौजूद एक दूसरे से जुड़ी कई पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए अभियान उन विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दों और समस्याओं पर केन्द्रित होता है जिनका संबंध न सिर्फ स्थानीय हो बल्कि विश्वव्यापी भी हो। विशेष रूप से देश की पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय विषयों का चयन कर देश के कोने–कोने में स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं के अनुरूप अशासकीय पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं/शासकीय संस्थाओं/शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते हैं। इस वर्ष (2008–09) के लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने **अभियान हेतु मूल विषय ''जलवायु परिवर्तन''** का चयन किया है। इसके अंतर्गत स्थानीय महत्व के निम्नलिखित विषयों का चयन किया जा सकता है :

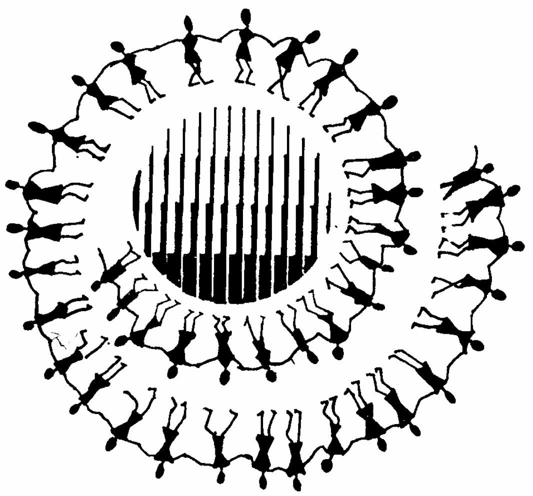

- ऊर्जा संरक्षण की तकनीक को अपनाने हेतु प्रचार प्रसार (Campaign for adoption of techniques for Conservation of Energy)
- स्थानीय प्रजातियों का रोपण (Plantation of local species)
- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों को अपनाने हेतु प्रयास (Adoptation of non conventional energy sources)
- जनसहभागिता से वेटलैण्ड संरक्षण (Wetland conservation with public participation)
- सामुदायिक सहभागिता से जैव विविधता संरक्षण (Biodiversity conservation with community participation)
- प्लास्टिक अपशिष्ट/ नगरीय अपशिष्ट, जैव–चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन (Management of plastic waste, urban solid wastes and bio-medical waste)

इस अभियान में चुनी हुई स्वैच्छिक संस्थाएं, शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक संघ, वैज्ञानिक निकाय, सामाजिक संगठन और अधिकारिक एजेन्सियाँ भाग लेती हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान का क्रियान्वयन दो घटकों (जागरूकता एवं कार्यवाही) के अंतर्गत किया जायेगा। प्रथमतः जन साधारण को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने हेतु संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण, कैम्प, पदयात्रा, रैली, प्रतियोगिताएं तथा उत्सव आदि कार्यक्रमों के माध्यम से तथा द्वितीय में कार्यवाही घटक संबंधी सरल और आसान प्रयोगात्मक कार्यों जैसे– जल स्त्रोातों/ तालाबों की सफाई, सफाई अभियान, औषधीय पौधों का वृक्षारोपण, बीज भण्डारण, स्थानीय स्तर पर जैवविविधता पंजी तैयार करना आदि कार्यों को स्थल पर सम्पन्न कर अथवा उनका प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर, जनसाधारण में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सम्पन्न किया जाना है।

देश में प्रभावी रूप से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 1993–94 से पूर्ण कार्य प्रणाली का विकेन्द्रीकरण किया है। मध्यप्रदेश के लिए **पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)** को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा **क्षेत्रीय संपर्क**

संस्था के रूप में चयनित किया गया और विगत 14 वर्षों से एप्को क्षेत्रीय संपर्क संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। एप्को प्रदेश में इस अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है।

इस अभियान के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में अभियान की सूचना प्रकाशित कर संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है तत्पश्चात क्षेत्रीय संपर्क संस्था प्राप्त प्रस्तावों की संक्षेपिका तैयार कर पर्यावरण मंत्रालय की प्राधिकृत समिति के समक्ष चयन हेतु प्रस्तुत करती है। प्राधिकृत समिति द्वारा चयनित संस्थाओं को एप्को के माध्यम से मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का वितरण किया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की साधिकार समिति द्वारा आवेदन/प्रस्तावों की समीक्षा के बाद वित्तीय सहायता निश्चित की जाती है। साधिकार समिति के निर्णयों को क्षेत्रीय संपर्क एजेन्सी (एप्को) द्वारा भाग लेने वाली संस्थाओं को सूचित किया जाता है। यह अनुदान दो किश्तों में दिया जाता है।

(क) स्वीकृत राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा प्रथम किश्त में स्वीकृति पत्र के साथ दिया जाता है।

(ख) द्वितीय किश्त (20 प्रतिशत) उपयोगिता प्रमाण पत्र, गतिविधि रपट, संपरीक्षित लेखा विवरण प्राप्त होने के बाद दिया जाता है।

क्षेत्रीय संपर्क एजेन्सी मंत्रालय को अपने क्षेत्र के अभियान की योजना बनाने, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करती है।

क्षेत्रीय संपर्क एजेन्सी के मुख्य कार्य निम्नवत हैं :–

1 मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म का प्रकाशन एवं क्षेत्र की सभी इच्छुक संस्थाओं को वितरण।

2 क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों को अभिलेखित कर प्रतिभागी संस्थाओं के चयन में भारत सरकार की प्राधिकृत समिति को सहयोग प्रदान करना।

3 चयनित संस्थाओं की कार्यक्रम आयोजन हेतु उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन।

4 अपने क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं को अभियान की गतिविधियां आयोजित करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि का आहरण और वितरण तथा अभियान की गतिविधियों का पर्यवेक्षण।

5 जिन संस्थाओं को राशि वितरित की गई हों, उनके संपरीक्षित (आडिटेड) लेखा का संयोजन।

6 प्रतिभागी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र, गतिविधि रपट, लेख विवरण प्राप्त कर संस्थाओं के गतिविधियों की एक जाई मूल्यांकन रपट तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत करना।

साधिकार समिति द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें अभियान के मुख्य विषय के महत्व को स्थानीय पर्यावरण मुद्दों और समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया हो तथा स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को कार्यक्रम में सुनिश्चित किया गया हो। कार्यक्रम में व्यवहारिक

क्रियान्वयन का कुछ हिस्सा लिया जा सकता है, जिससे पर्यावरण चेतना में सुविधा हो सके, लेकिन इस अभियान में भौतिक संरचना के निर्माण पर आधारित परियोजना पर विचार नहीं किया जाता है। ऐसी गतिविधियां अलग से आयोजित अनुवर्ती कार्यक्रमों का हिस्सा हो सकती है। प्रत्येक प्रतिभागी संस्था को कार्यक्रम के आयोजन उपरान्त निर्धारित समय सीमा में कार्यक्रम की विस्तृत रपट, संपरीक्षित लेखा विवरण, समाचार कटिंग्स तथा फोटोग्राफ्स प्रतिवेदन आदि एप्को को भेजना आवश्यक होता है। अभियान में चयनित संस्थाओं को वित्तीय सहयोग दिया जाता है।

गत वर्षों की अभियान की संक्षेपिका निम्नानुसार है :–

वर्ष	**प्राप्त प्रस्तावों की संख्या**	**स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या**	**स्वीकृत राशि (लाख में)**	**विषय**
1993–94	156	41	2.45	जन्तु कल्याण एवं अपशिष्ट प्रबंधन
1994–95	188	74	4.27	संयुक्त वन प्रबंधन एवं पारिस्थिकीय विकास
1995–96	231	77	4.37	महिला एवं पर्यावरण
1996–97	389	152	8.61	औषधीय पौधे
1997–98	647	237	13.10	प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण एवं संरक्षण
1998–99	615	332	18.12	अपने जल संसाधनों को साफ रखें
1999–2000	890	370	19.24	अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं हरा–भरा रखें
2000–2001	908	426	20.85	अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं हरा–भरा रखें
2001–2002 अ. मध्यप्रदेश ब. छत्तीसगढ़	 930 87	 472 67	 24.88 3.49	स्वपोषी विकास
2002–2003 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़	 1138 105	 544 76	 26.478 3.906	जल जीवन अमृत
2003–04	1047	615	31.86	जल जीवन अमृत
2004–05	1327	594	39.83	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
2005–06	1980	762	41.40	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
2006–07	1782	875	44.64	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
2007–08	1706	883	45.91	जैव विविधता संरक्षण
2008–09*	1596	772	50.13	जलवायु परिवर्तन

* स्वीकृति की प्रत्याशा में